अति महत्वपूर्ण /शासन संदर्भ /लौटती डाक से।

पत्रसं0-स्था0-6सा0क0//स्क्री0सूचना/2019-20/ 5453 **//वाणिज्य कर**

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ //दिनांक // 10 // फरवरी,2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र सं0 161/11-3-2020 दिनांक 29-01-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा दिनाँक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये गये कार्मिकों की संख्यावार सूचना निम्नांकित प्रारुप में शासन को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारुप (तृतीय /चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों सूचना)

विभाग का नाम : वाणिज्य कर			
क्रम सं0	**अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल सं0**	**वृहद् दण्ड प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या**	**पदच्युत कार्मिकों की कुल संख्या।**
1	2	3	4

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो से संबंधित वाँछित सूचना निर्धारित प्रारुप में **दि0 12-02-2020 तक** मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन की अपेक्षानुसार अपेक्षित सूचना प्रेषित की जा सकें। उक्त सूचना जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर कार्यालय में संकलित कर मुख्यालय को प्रेषित की जानी है।

उपर्युक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0व दिनांक :उक्त।

प्रतिलिपि:-

1- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर एवं **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर**, उत्तर प्रदेश **के ई-मेल पर अपलोड कराने हेतु** प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

29/01/2020

प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–161/11–3–2020

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–3 **लखनऊ:दिनांक: 29 जनवरी, 2020**

विषयः– दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्कीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये गये कार्मिकों की संख्यावार सूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव कार्मिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या–2/2020/13(1)/2007/का–1–2020, दिनांक 23–01–2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण से संबंधित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूचना दिनांक 30–01–2020 तक 02 प्रतियों में राज्य कर अनुभाग–3 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,
(signature)
(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

Add. Com. I
Add. Com. (प्रशा0)

कमिश्नर
30.01.2020

DC खं0-6 ...

AC(AD)
30-1-2020

4190

970

30/ACS/T/2020
JS (M)

161/11-3-2020

प्राथमिकता

संख्या-2/2020/13(1)/2007 /का-1-2020

प्रेषक,

A
28-1-2020

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Sr-22

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2020

विषय:-दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये कार्मिकों की संख्यावार सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेश तथा पदच्युत किये कार्मिकों की अद्यतन संख्यावार संकलित सूचना, अपने हस्ताक्षर से अधोलिखित प्रारूप पर (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 31.01.2020 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

प्रारूप

विभाग का नाम-

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	वृहद् दण्ड प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	पदच्युत कार्मिकों की कुल संख्या

विभागीय प्रमुख के हस्ताक्षर

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव ।

समन्वय
राज्य कर अनु०-3
28/1/20

3/01/2020

आज ही

संख्या–राज्य कर–1–130 / 11–2020–98 / 2018

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–1 लखनऊः :दिनांकः: 29 जनवरी, 2020

विषयः– दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों / अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये कार्मिकों की संख्यावार सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदया,

Add. Com. / Add. Com. (प्रशा०)

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग–1 के पत्र सं0–2 / 2020 / 13(1) / 2007 / का–1–2020, दिनांक 23.01.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक विभाग द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रकरण में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कमिश्नर
30.01.2020

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

ACOT (AD)
30.1.2020
966

4197

0 120020310/ACB/C/2020
JS (H)

(6) 11-3-2020

प्राथमिकता

संख्या-2/2020/13(1)/2007 /का-1-2020

28-1-2020

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2020

विषयः- दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से अब तक सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेशों तथा पदच्युत किये कार्मिकों की संख्यावार सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग, कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध पारित वृहद दण्डादेश तथा पदच्युत किये कार्मिकों की अद्यतन संख्यावार संकलित सूचना, अपने हस्ताक्षर से अधोलिखित प्रारूप पर (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 31.01.2020 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

प्रारूप

विभाग का नाम-

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	वृहद् दण्ड प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	पदच्युत कार्मिकों की कुल संख्या

विभागीय प्रमुख के हस्ताक्षर

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव ।

संयुक्त
राज्य कर अनु०-3
29/01/2020
कर अनु-1
29/01/20